बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्र सं0- 7(सा0वा0)-18/13- 160694 / पटना, दिनांक- 22-08-2013

प्रेषक,

अमरजीत सिन्हा,
प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना

अमृत लाल मीणा,
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी जिला पाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

महाशय,

मनरेगा के अन्तर्गत खेल के मैदानों का विकास अनुमान्य गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है । इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है ।

2- राज्य के विद्यालयों के खेल के मैदानों का विकास मनरेगा के अन्तर्गत किया जा सकता है । तदनुसार सभी विद्यालयों के प्रधानों को अवगत कराया जाए कि 2 अक्टूबर 2013 को होनेवाली ग्राम सभा की बैठकों में खेल के मैदान को पारित करने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा जाए ।

3- पारित होनेवाली योजनाओं का कार्यान्वयन जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा कराया जाएगा ।

4- आवश्यकतानुसार इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत खेल के मैदानों को विकसित किया जा सकता है । इस हेतु 2013-14 की पूरक योजना में इस योजना को समावेशित किया जा सकता है ।

5- सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इन प्रावधानों से सभी विद्यालय प्रधानों को अवगत कराएँ एवं समीक्षात्मक बैठकों में नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें । विद्यालयों के खेल के मैदान के विकास संबंधी कार्यों में यदि कोई कठिनाई हो रही हो तो उस संबंध में जिला पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया जाए ।

विश्वासभाजन,
8-8-13
(अमृत लाल मीणा)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

विश्वासभाजन,
16/8/13
(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग